



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1079) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 281 दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार गजट (असधारण अंक) में प्रकाशित एस. ओ. 277, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 46/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में, क्रम सं0 (ii) की कंडिका (घ) के स्पष्टीकरण में "केन्द्रीय कर" के स्थान पर "राज्य कर" पढ़ें।

2. यह शुद्धि-पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017-4102)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

एस. ओ. 282, एस. ओ. 281, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017-4102)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 16th November 2017

S.O. 281 dated 16th November 2017—In Notification No. 46/2017 State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide S.O. 277, dated 14th November, 2017- in serial number (ii), clause (d), in the Explanation, for "central tax" read "state tax".

2. This corrigendum shall come into force with effect from 15 November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-4102)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1079-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>